कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम

–: प्रथम आकलन हेतु परीक्षा कार्यक्रम :–

दिनांक	वार	समयावधि	कक्षा	विषय
30 अक्टूबर 2023	सोमवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	3 से 5	हिन्दी
31 अक्टूबर 2023	मंगलवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	3 से 5	अंग्रेजी
01 नवम्बर 2023	बुधवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	3 से 5	गणित

दिनांक	वार	समयावधि	कक्षा	विषय
02 नवम्बर 2023	गुरूवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	6 से 8	अंग्रेजी
03 नवम्बर 2023	शुक्रवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	6 से 8	गणित
04 नवम्बर 2023	शनिवार	प्रातः 11:30 से 12:30 तक	6 से 8	हिन्दी

नोटः–

1. परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें।
2. कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्पनत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे–☑
3. कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्नपत्र के साथ उपलब्ध करवाई गई ओसीआर शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा इस शीट में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे–☑
4. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र अथवा ओसीआर शीट को मोड़ें नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा अतएव सीधा रखा जाना है।
5. आरकेएसएमबीके के अंतर्गत यह प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है।
6. परीक्षा दिवस को एक घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा।

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4935087

कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम

—: प्रथम आकलन हेतु दिशा निर्देश :—

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्त्वाकांक्षी सस्टेनेबल रेमेडियल कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए वर्ष में तीन बार कम्पीटेन्सी बेस्ड आकलन किया जाना है। इस क्रम में RKSMBK प्रथम आकलन दिनांक 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक होगा। आकलन की इस प्रक्रिया के राज्य भर में लयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं—

1. 50 जिला व्यवस्था:—

1. राजस्थान के शिक्षा में बढते कदम के अन्तर्गत प्रथम योगात्मक आकलन (एस.ए.—1) का आयोजन राजस्थान राज्य के नवीन गजट नोटिफिकेशन के तहत 17 नवगठित जिलों को शामिल करते हुए समस्त 50 जिला व्यवस्था अनुसार लिया जायेगा।
2. नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 17 जिले जो पूर्व जिले से अलग/विभक्त होकर बने हैं, के लिए पूर्व (मूल जिला) के प्राचार्य डाईट द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढते कदम आकलन संबंधी समस्त कार्य हेतु डाईट में पदस्थापित वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य समकक्ष) को प्राधिकृत अधिकारी रूप में नियुक्त किया जायेगा। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी नवगठित जिले की राजस्थान के शिक्षा में बढते कदम आकलन की सम्पूर्ण व्यवस्था/क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

2. प्रश्नपत्र संग्रहण एवं वितरण:—

1. प्राचार्य डाईट समस्त अपने जिले (पूर्व एवं नवगठित) ब्लॉक के लिए उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करेंगे जो स्वयं डाईट या राजकीय विद्यालय का

RajKaj Ref
4935078
Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:45 IST
Reason: Approved

भवन हो सकता है। इस संबंध में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान के पत्र दिनांक 04.10.2023 की पालना सुनिश्चित की जावें।

2. प्राचार्य डाईट समस्त यह सुनिश्चित करें कि 50 जिला व्यवस्था अनुसार ही गोपनीय सामग्री का संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करते हुए संपूर्ण व्यवस्था संपादित करें।

3. प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए एक उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करेंगे जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतया यह संग्रहण एवं वितरण केन्द्र जिला मुख्यालय पर ही स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता के दृष्टिगत यह जिले में किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि संग्रहण एवं वितरण केन्द्र का चयन करते समय प्राचार्य डाइट सुरक्षा, सहज व सुगम परिवहन की दृष्टि से पूर्ण आश्वस्त होकर ही निर्णय लें।

4. गोपनीय मुद्रक द्वारा सभी 50 जिलों को प्रश्नपत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक 19 से 27 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्त्ता से वार्त्तालाप हो सके और प्रश्नपत्र आपूर्ति निर्बाध सम्पन्न हो जाए। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्नपत्र आपूर्ति संभावित है कि जानकारी पंजीयक कार्यालय से समस्त प्राचार्य डाइट को यथासमय प्रदान कर दी जाएगी।

5. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों की राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतः प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे।

6. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्रश्पनत्रों के पैकेट/बॉक्स पीईईओवार/यूसीईओ वार प्राप्त होंगे। शालादर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा (तिथि 30.09.2023) के आधार पर यह पैकिंग करवाई गई है अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलगपैकेट/बॉक्स होगा जिस पर **नोपीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित होगा।

RajKaj Ref
4935078

Signature valid
Digitally signed by Kanta Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:45 IST
Reason: Approved

7. **नोपीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित पैकेट/बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर उनके पीईईओ/यूसीईओ का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्नपत्रो के पैकेट्स को संबंधित पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण दिनांक 27.10.2023 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जो कि किसी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप न हो।

8. जिले के संग्रहण एवं वितरण केन्द्रों द्वारा निर्धारित तिथि को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनेटरिंग में प्रश्नपत्रों के पैकेट/बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रकिया के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) को किया जाएगा। इस प्रकिया में प्राचार्य डाइट स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु कहने के लिए अधिकृत होंगे।

9. प्रत्येक सीबीईओ व्यक्तिशः स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करेंगे, वे इस प्रकिया में अपने साथ दो अधिकारी/कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करने के साथ–साथ **नोपीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकितपैकेट/बॉक्स में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्नपत्र भी प्राप्त कर लें जो कि उनके परिक्षेत्र मे स्थित है तथा शालादर्पण पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईओ के साथ मैप नहीं हैं।

10. समस्त सीबीईओ दिनांक 28.10.2023 व 29.10.2023 को अपने परिक्षेत्र के पीईईओ/यूसीईओ को प्रश्नपत्र पैकेट/बॉक्स का वितरण करेंगे। वे इसके साथ–साथ **नोपीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित पैकेट/बॉक्स में रखे गए विद्यालयों के प्रश्नपत्र भी संबंधित पीईईओ/यूसीईओ को वितरित करेंगे।

11. प्रत्येक पीईईओ/यूसीईओ दिनांक 28.10.2023 एवं 29.10.2023 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्नपत्र एनवेलप वितरित करेंगे। पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक के

RajKaj Ref
4935078
Signature valid
Digitally signed by Ka[illegible] Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.1[illegible] 0[illegible]:03:45 IST
Reason: Approved

लिए हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषयों के बंद प्रश्नपत्र पैकेट्स होंगे। पीईईओ/यूसीईओ के पैकेट/बॉक्स में रखे गए प्रश्नपत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट/शीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से उनका आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा।

12. राज्य के समस्त महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्नपत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध करवाया गया है।

13. राजस्थान के शिक्षा में बढते कदम के अन्तर्गत प्रथम योगात्मक आकलन (एस.ए.–1) में कक्षा 3 से 8 तक तीन विषयों–हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित के अतिरिक्त/रिजर्व के 100–100 प्रश्नपत्र पैकेट D.E.O. रिजर्व एवं डाईट रिजर्व के रूप से सुरक्षित रखे जावें। जिनका उपयोग प्रश्नपत्र कमी होने पर परीक्षा दिवसों पर उड़न दस्तों को प्रदान कर पूर्ति की जावे।

14. शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए:–

1. कक्षा 3 से 8 के लिए हिन्दी, अंगेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा।
2. प्रश्नपत्र हल करने की अवधि एक घंटा रहेगी।
3. प्रत्येक विषय में कक्षा 3 से 5 तक के लिए प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न एवं कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्नपत्र में 30 होंगे।
4. कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा।
5. कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक (ओसीआर शीट) पृथक पृथक मुद्रित होंगे।
6. परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए, प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है।
7. परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पैंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा।

RajKaj Ref
4935078

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:45 IST
Reason: Approved

15. उड़न दस्तों का गठनः—

1. जिला स्तर पर सीडीईओ, प्राचार्य डाईट, जिशिअ (मु.) माध्यमिक तथा जिशिअ (मु.) प्रारंभिक स्वयं के संयोजन में चार तथा ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ स्वयं के संयोजन में एक उड़नदस्ते का गठन करेंगे। वे अपने जिले/ब्लॉक में प्रथम आकलन दिनांक 30 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2023 तक की अवधि में अधिकतम परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।
2. उपर्युक्त सभी उड़नदस्ते निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था, वीक्षक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, प्रश्नपत्रों(आकलन पत्रों) के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा की शुचिता, विश्वसनीयता बनाए रखने का कार्य करेंगे।

16. बैठक व्यवस्थाः—

1. परीक्षा केन्द्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षा कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए।
2. बैठक व्यवस्था करते समय केन्द्राधीक्षक यह ध्यान रखें कि एक कक्षा कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर दो या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए।

17. वीक्षकों के लिएः—

1. परीक्षा केन्द्र पर कक्षाकक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना।
2. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को समझाने मे आ रही कठिनाइयों का शुचिता के साथ निस्तारण करना। सीधी भाषा में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें ना कि वे परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं।
3. वीक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को सीधा रखेंगे।

18. प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को स्कैन करनाः—

1. प्रत्येक पशनपत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा आरकेएसएमबीके एप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिह्नित आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्केन कर अपलोड किया जाएगा।

RajKaj Ref 4935078
Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:45 IST
Reason: Approved

2. शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा।
3. शिक्षक यह भी ध्यान रखें के आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भलीभांति नजर आएं ताकि पूरा एरिया स्कैन हो पाए।
4. आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 6.11.2023 है। अतः इस दिनांक से पूर्व ही आरकेएसएमबीके एप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है।

<u>टाइम–लाईन</u>

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1	जिला संग्रहण केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति	19.10.2023 से 27.10.2023
2	जिला संग्रहण केन्द्रों से सीबीईओ को गोपनीय सामग्री का वितरण	28.10.2023 तक
3	सीबीईओ से पीईईओ/यूसीईओ को गोपनीय सामग्री का वितरण	28.10.2023 से 29.10.2023
4	पीईईओ/यूसीईओ से क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण	28.10.2023 से 29.10.2023

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.19 09:03:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
4935078